न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—30 / 2018 / 75 (2018 / 00030)

1. रामसिंह पुत्र मांगीलाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गुढाकंला, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
2. ग्राम पंचायत गुढा खुर्द, पंचायत समिति, भिनाय, जिला अ जमेर जरिये पदेन सचिव ग्राम पंचायत, गुढा खुर्द ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक क—राजस्व / एफ.12 (सी)कअ / राजस्व / 16 / 14 दिनांक 12.2.2016 .

उपस्थितः—

1. श्री महावीर प्रसाद मेघवंशी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. हनुमान प्रसाद, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—28.6.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक क—राजस्व / एफ.12 (सी)कअ / राजस्व / 16 / 14 दिनांक 12.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक क—राजस्व / एफ.12 (सी)कअ / राजस्व / 16 / 14 दिनांक 12.2.2016 के द्वारा ग्राम गुढ़ाकंला के खसरा नंबर 301 रकबा 1.32 है0 किस्म बारानी—3 खसरा नंबर 302 रकबा 0.41 है0 किस्म बारानी—3, खसरा नंबर 303 रकबा 1.68 किस्म बारानी—3 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 को चारागाह प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि विवादित आरायिजात अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी एवं पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर अपीललांट एवं उनके पूर्वजों का लगभग 48 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने

अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किये है जबकि विवादित आरायिजात के संबंध में अपीलांट का राजस्व वाद भी विचाराधीन है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित व अधिकार प्रभावित हुए है जिससे वह पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में होने से उसे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.2. 2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया जिससे अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.10.2017 को राजस्व अभिलेख बाबत् पटवारी हल्का से संपर्क करने पर हुई तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त कर प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 23.11.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत एवं अपीलांट के न्यायहितों को नजरअंदाज कर कानून की मंशा के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है, जबकि विवादित आराजियात अपीलांट की पुश्तैनी काबिज काश्तशुदा आराजियात है, जिस पर अपीलांट काबिज चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने राजस्व अभिलेख व मौके की भौतिक स्थिति को बिना मध्य नजर रखे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 6.1.2015 को प्रस्तुत किया जो बउनवानी प्रकरण रामसिंह बनाम सरकार के नाम से विचाराधीन है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने जिला कलक्टर, अजमेर को विवादित आराजियात बाबत् प्रस्ताव भिजवाये है जो गलत है । विद्वान जिला कलक्टर के द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उक्त पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि वर्तमान आराजी खाली हो । अपीलांट एक गरीब ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो मात्र हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा व्यक्तिगत राजनैतिक द्वैषता रखने की गरज से उक्त कार्यवाही प्रारंभ कर विवादित भूमि को चारागाह हेतु आरक्षित करवाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 12.2.2016 खसरा संख्या 301 व 303 की हद तक निरस्त किया जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रारंभ से सिवायचक दर्ज रही है एवं ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर नियमानुसार चारागाह हेतु आरक्षित की गई है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य

पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात कभी भी उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से लगभग 48 वर्षो से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में विचाराधीन है जिससे वह पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि दर्ज रही है । उक्त सिवायचक भूमि को ग्राम पंचायत व उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने चारागाह हेतु आरक्षित की है । अपीलांट का विवादित सिवायचक भूमि पर यदि कब्जा मान भी लिया जावे तो एक अतिक्रमी की हैसियत से माना जावेगा तथा नियमों में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नही ंहै । जहां तक विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन होने का प्रश्न है इस संबंध में हाजा न्यायालय का मत है कि उक्त विचाराधीन वाद में यदि अपीलांट को कोई व हक व अधिकार प्राप्त होते है तो वह उक्तानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र है किन्तु वर्तमान में विवादित भूमि सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर चारागाह हेतु आरक्षित की है जिससे अपीलांट का अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर